



म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास भोपाल
दूरभाष : 2553448, 2552714, E-mail : mpkvibskill@gmail.com

प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु संस्था की जानकारी

क्र.	विवरण		
1	संस्था का नाम		
2	संस्था के पत्राचार का पूर्ण पता		
3	दूरभाष :- मोबाईल :-		
4	ई-मेल पता		
5	एन.एस.डी.सी. पंजीयन की जानकारी (छायाप्रति संलग्न करें)	पंजीयन क्र. -	
		जारी दिनांक -	
		वैधता दिनांक -	
6	संस्था के प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थित है।		
7	संस्था का पेनकार्ड नम्बर/धारक का नाम		
8	संस्था का किस-किस कंपनी/शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग से प्लेसमेंट हेतु अनुबंध है		
9	कौशल उन्नयन योजनातर्गत विगत 3 वर्षों में उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षणों की जानकारी	2018-19	
		2019-20	
		2020-21	
10	विगत 3 वर्षों में प्रशिक्षण उपरान्त उपलब्ध कराये गये प्लेसमेंट की जानकारी	2018-19	
		2019-20	
		2020-21	
11	संस्था द्वारा प्रस्तावित ट्रेड जिसमें संस्था प्रशिक्षण देना चाहती है तथा प्रस्तावित ट्रेड में टैक्नीकल स्टाफ की जानकारी	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
12	प्रशिक्षण केन्द्र के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/किरायानामा		
13	संस्था की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से विगत 3 वर्षों की ऑडिट बेलेंसशीट	2018-19	
		2019-20	
		2020-21	
14	संस्था का विगत 3 वर्षों का टर्नओवर वर्षवार पृथक-पृथक	2018-19	
		2019-20	
		2020-21	

15	संस्था का विगत 3 वर्षों का आयकर का विवरण वर्षवार पृथक पृथक	2018-19	
		2019-20	
		2020-21	
16	संस्था के पास प्रशिक्षण हेतु वाछित विषय की कोचिंग हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित फेकल्टी उपलब्धता की जानकारी।		
17	प्रशिक्षण संस्था प्रतिदिन एक पारी (चार घण्टे की एक पारी) में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम है।		
18	संस्था के पास प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेडों के आवश्यक उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्धता की जानकारी।		
19	संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र पर सी.सी.टी.वी. कैमरा उपलब्धता की जानकारी।		
20	बायोमेट्रिक (थम्ब मशीन) उपलब्धता की जानकारी।		
21	प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के मान से आवश्यक अध्यापन कक्ष की उपलब्धता की जानकारी।		
22	संस्था के पास अन्य अधोसंरचना जैसे स्वच्छपेय जल, पर्याप्त बिजली, शौचालय आदि उपलब्धता की जानकारी।		
23	यदि संस्था आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है जो प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु क्या संसाधन उपलब्धता यदि भवन स्वयं का है तो स्वामित्व का प्रमाण यदि किराये का है तो किरायानामां।		

मैं यह प्रमाणित करता हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है, असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को रहेगा।

संस्था प्रभारी
हस्ताक्षर/सील

संलग्न- दस्तावेज पृष्ठ क्र. से तक